

औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन की नीति को शासन से मिली मंजूरी

साक्षात्कार में मिले अंकों के आधार पर होगा आवंटन, एक समान अंक मिलने पर होगा ड्रॉ

माई सिटी रिपोर्टर

नोएडा। औद्योगिक प्लॉटों की नई नीति को शासन ने मंजूरी दे दी है। अब इसके हिसाब से जिले में औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन के लिए साक्षात्कार का सहारा लिया जाएगा। इसमें मिले अंकों के आधार पर प्लॉटों का आवंटन होगा। वहीं, एकसमान अंक मिलने पर ड्रॉ का सहारा लिया जाएगा।

दरअसल, शासन के एक फैसले में प्राधिकरणों की अप्रैल 2022 की नीति पर रोक लगा दी गई थी। आदेश में अप्रैल 2022 से पहले की नीति पर ही औद्योगिक प्लॉटों का आवंटन होने की बात कही गई थी। इस बाबत अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह की ओर से शासनादेश जारी किया गया था। इसमें प्राधिकरणों से एक मानदंड तैयार करने को कहा गया। प्राधिकरण ने मानदंड बनाकर शासन को भेजे जिसे मंजूर कर लिया गया। अब इसके आधार पर औद्योगिक प्लॉटों का आवंटन होगा। नए मानदंडों के तहत नोएडा-ग्रेनो में एक ही जगह सबसे बेहतर उद्योगों में निवेश के लिए इच्छुक निवेशकों को सबसे ज्यादा अंक मिलेंगे। इसका मकसद उन उद्योगों को बढ़ावा देना होगा जिनकी वजह से नोएडा-ग्रेनो की पहचान है। इसके अलावा उन उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाएगा जो नए हैं।

संकेतिक



मानक और दिए जाने वाले अंक

मानक	अंक
सनराइज सेक्टर	20
विदेशी निवेश	10
निर्यात	10
कितने की कंपनी	10
कंपनी की पैसे लगाने की शक्ति	10
टेक्निकल प्रजेंटेशन	10
औसत टर्नओवर कितना	10
स्टार्टअप	07
विस्तार	05
रोजगार	05
महिला, दिव्यांग, एससी-एसटी	03

ऐसे बनेगी मेरिट

प्लॉट आवंटन के लिए 100 अंकों के मानक रखे गए हैं, इन्हीं मानकों पर आवेदक कंपनियों को अंक प्रदान किए जाएंगे। इसमें कंपनी का इतिहास, आर्थिक स्थिति, रोजगार गारंटी, एफडीआई, बचत, लोन, जातिगत आरक्षण, तकनीकी तौर पर दक्षता, औसत टर्नओवर समेत कई अन्य बिंदुओं पर कंपनी को तौला जाएगा। अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी। फिर कंपनियों को प्लॉट आवंटन के लिए चयनित किया जाएगा। अगर अंक एकसमान रहते हैं तो ड्रॉ से चयन होगा।

आवासीय योजना के लिए आज से भेजे जाएंगे आवंटन पत्र

60

दिनों में प्लॉट की कुल कीमत का करना होगा भुगतान

ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण के आवासीय प्लॉटों की योजना में सफल रहे आवेदकों को बुधवार से आवंटन पत्र भेजे जाएंगे। इन्हें 60 दिनों में प्लॉट की कुल कीमत का भुगतान करना होगा। निर्धारित समय में भुगतान न करने पर आवंटन निरस्त हो जाएगा। योजना में 120, 162, 200, 500, 1000 व 2000 वर्गमीटर के कुल 1184 प्लॉट थे। इसमें एकमुश्त और किश्तों का विकल्प दिया गया था, लेकिन ड्रा में एकमुश्त वाले आवेदकों को ही शामिल किया गया।

प्राधिकरण के सीईओ डॉ॰ अरुणवीर सिंह ने बताया कि सफल आवेदकों को बुधवार से आवंटन पत्र भेजे जाएंगे। ब्यूरो



पाँड टैक्सी

निविदा जमा करने का आज अंतिम मौका

ग्रेटर नोएडा। नोएडा एयरपोर्ट से यमुना फिल्म सिटी तक पाँड टैक्सी चलाने की योजना पर काम चल रहा है। इसके ट्रेक की विकासकर्ता कंपनी का चयन करने के लिए वैश्विक ई-निविदा निकाली गई है। निविदा जमा करने की बुधवार को आखिरी तारीख है। अब तक पाँच निविदाएं आ चुकी हैं। निविदा अगस्त में निकाली गई थी। एयरपोर्ट से यमुना सिटी के सेक्टर-21 में प्रस्तावित फिल्म सिटी तक पाँड टैक्सी का रूट एलिबेटेड होगा। ब्यूरो